

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.ए.स. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 122/2024 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)

इम्प्लिया सेक्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय सॉप नं. 67 बी और 68, प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नं. 277(ईस्ट), टैगौर नगर, खीत्तीरन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मीनाक्षी खम्बेलवाल
2. राहुत उदयवाल
प्लॉट नम्बर 220, महावीर नगर, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :-

1. श्री प्रनोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 14.03.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 25.07.2020 को जनानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मीनाक्षी खम्बेलवाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 220, महावीर नगर स्कीम, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 181.87 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 48,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अक्षम रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि नये ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का नैतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनवाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 48,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



सकता एवं पी ए प्रेषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 44.25.18.49/- रुपये की ऋण सुविधा समाप्त करने हेतु अपाधीगण को दिनांक 28.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन एगिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अपाधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अपाधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भीतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अपाधी श्रीमती भीनाश्री खण्डेलवाल के स्वागित्त की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 220, महावीर नगर एकीड, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 181.07 वर्गगज का भीतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिथे सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिशे जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणीण को भेजा कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाखिल नम्बर हो।



आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर